

## विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 861/वि०स०/संसदीय/२(सं)/२०१८

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 18 अगस्त, 2018

महोदय/महोदया;

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 815/वि०स०/संसदीय/०९(सं)/२०१७, दिनांक 07 अगस्त, 2018 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल ने “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-205 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-194 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किये जाने के लिये दिनांक 27 अगस्त, 2018 की तिथि नियत की है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 27 अगस्त, 2018 को अपराह्न 12.20 बजे सदन में प्रस्तुत की जायेंगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 अगस्त, 2018 से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक के उपवेशनों का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि वह माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ है, संलग्नक-एक के रूप में आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

उक्त प्रसंग में मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि उक्त कार्यक्रम में विधायी कार्यों के लिये निर्दिष्ट दिनांकों को संलग्नक-दो में उल्लिखित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों एवं कतिपय अन्य नये विधेयकों को ऐसे क्रम में विचारार्थ लिये जाने की सम्भावना है जिसकी सूचना आपको यथासमय पृथक से दी जायेगी।

उक्त कार्यक्रम में दिनांक 24 व 31 अगस्त, 2018 को आधा-आधा दिन असरकारी दिवस दिया जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 861(1)/विंस०/संसदीय/२(सं)/२०१८, तद्रदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 5-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 6-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 7-मा० मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा० मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 8-समस्त मा० मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 9-ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ,
- 10-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 11-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 12-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 13-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, ८६, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 16-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 18-समस्त मण्डलायुक्ता, उत्तर प्रदेश,
- 19-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 20-निदेशक दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 21-समाचार सम्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,
- 22-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 23-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 24-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 25-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा तथा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 26-लोक सभा सचिवालय, कानफेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 27-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 28-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 29-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 30-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 31-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अशोक कुमार,  
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-एक

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 23 अगस्त, 2018 से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि मा० अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ

अगस्त, 2018

- |                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 गुरुवार             | 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।<br>2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।                                          |
| 24 शुक्रवार            | 1-विधायी कार्य।<br>2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।                                                                                                                                                   |
| 25 शनिवार<br>26 रविवार | बैठक नहीं होगी।                                                                                                                                                                                |
| 27 सोमवार              | 1- <u>12.20 बजे अपराह्ण</u><br>वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।<br>2-विधायी कार्य।                                                                        |
| 28 मंगलवार             | 1-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।<br>2-विधायी कार्य। |
| 29 बुधवार              | 1-विधायी कार्य।<br>2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।                                                                                                                                                  |
| 30 गुरुवार             | 1-विधायी कार्य।<br>2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।                                                                                                                                                  |
| 31 शुक्रवार            | 1-विधायी कार्य (आधा दिन)।<br>2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।                                                                                                                                         |

अध्यादेशों की सूची

- 1-उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018
- 2-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2018
- 3-उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) अध्यादेश, 2018
- 4-श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अध्यादेश, 2018
- 5-उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अध्यादेश, 2018
- 6-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 2018